**संख्या-16/773/41-2014-357 सा0/2013**

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

**महानिदेशक,**
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 29 मार्च, 2014

**विषय: राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा के पर्यटन विकास की योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1526/6-1-1 (संकिसा-कम्पिल)/2013-14, दिनांक-14.10.2013 एवं पत्र संख्या-3504/6-1-1 (420)/कम्पिल/2013-14 दिनांक-18.03.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-2994/41-2013-357 सा0/2013, दिनांक-09.12.2013 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में बौद्व तीर्थ स्थल संकिसा में स्वर्ग उद्यान परिसर में मेडिटेशन, रसोई घर, पुलिस गार्डरूम, बच्चों के मनोरंजन हेतु झूलों एवं आर0सी0सी0 बेन्च के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-84.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0-40.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। चालू योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0-44.61 लाख के सापेक्ष रू0-30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-25-जनपद फर्रूखाबाद में पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/10-2013, दिनांक-28 मार्च, 2013 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

**<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>**

**भवदीय,**

**श्याम मोहन तिवारी**
**अनुसचिव**

**<u>संख्या-16/773/(1)/41-2014 तददिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
5. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 गोमतीनगर, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**श्याम मोहन तिवारी**
**अनुसचिव**

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in